[2024: आर जे-जे डी:50637]

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1895/2015

1. परीक्षित गोस्वामी पुत्र श्री भंवर गिरी गोस्वामी, निवासी एडी-38, शिवाजी नगर, पाली।
2. कृष्ण गोपाल सोनी पुत्र राजेंद्र कुमार सोनी, निवासी डी 64, मजदूर नगर, अजमेर रोड, जयपुर।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार के माध्यम से राजस्थान राज्य।
2. राजस्थान मरुधर ग्रामीण बैंक, प्रधान कार्यालय: 900/751, मिल्क मैन कॉलोनी, पाल रोड, जोधपुर, इसके अध्यक्ष के माध्यम से।
3. बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान, निदेशक के माध्यम से।

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए	:	श्री पुशन
प्रतिवादी(ओं) के लिए	:	श्री विपुल धारनिया सुश्री ट्विंकल पुरोहित के लिए श्री संजीत पुरोहित

माननीय श्रीमान. जस्टिस अरुण मोंगा

आदेश (मौखिक)

10/12/2024

(30/05/2025 को सुबह 08:36:04 बजे डाउनलोड किया गया)

1. याचिका कर्ता प्रति वादियों को वर्ष 2013 में भर्ती प्रक्रिया के दौरान प्राप्त अंकों के आधार पर सामान्य बैंक अधिकारी (जी.बी.ओ) के पद के लिए उनकी उम्मीदवारी पर विचार करने के निर्देश चाहते हैं।

2. याचिका में दिए गए प्रासंगिक तथ्य, अनावश्यक विवरणों को छोड़कर, इस प्रकार हैं:-

2.1 बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आई.बी.पी.एस) सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत एक स्वायत्त निकाय है, और बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1950 के तहत एक सार्वजनिक ट्रस्ट है। इसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आर.आर.बी) के लिए लिखित परीक्षा आयोजित करने के लिए अधिकृत किया गया है। भारत सरकार ने नाबार्ड के माध्यम से आर.आर.बी में अधिकारियों और कार्यालय सहायकों की भर्ती के लिए सामान्य परीक्षा प्रणाली को मंजूरी दी है।

2.2 आई.बी.पी.एस ने अपने विज्ञापन के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में अधिकारियों (स्केल I, II, और III) और कार्यालय सहायकों (बहुउद्देशीय) की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। सामान्य लिखित परीक्षा सितंबर-अक्टूबर 2013 के लिए संभावित थी। याचिका कर्ताओं ने सामान्य बैंकिंग अधिकारी (जी.बी.ओ) स्केल II पद के लिए ऑनलाइन आवेदन किया और 22.09.2013 को परीक्षा में शामिल हुए। नवंबर 2013 में आई.बी.पी.एस द्वारा घोषित परिणामों के अनुसार, उन्हें 116 अंक प्राप्त हुए, और ये अंक 14.11.2014 तक मान्य थे।

2.3 इससे पहले, एम.जी.बी ने सामान्य बैंकिंग अधिकारी स्केल II के 48 रिक्त पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे, जिनकी ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि 09.10.2013 थी। इनमें से 30 पद भरे गए, जबकि 19 पद रिक्त रह गए। याचिका कर्ताओं, जिनके सी.डब्ल्यू.ई स्कोर रिक्तियों के भरे जाने के बाद घोषित किए गए थे, ने आर.टी.आई आवेदन दायर किया और उन्हें 25.11.2014 को सूचित किया गया कि 19 बैकलॉग पद अभी भी रिक्त हैं।

(30/05/2025 को सुबह 08:36:04 बजे डाउनलोड किया गया)

2.4 फरवरी 2015 में, आर.एम.जी.बी ने 19 बैकलॉग रिक्तियों और 50 अतिरिक्त पदों को भरने के लिए एक और विज्ञापन जारी किया, जिससे कुल 69 जनरल बैंकिंग ऑफिसर स्केल II के पद भरे जा सके। याचिका कर्ता, जो ओबीसी वर्ग से आते हैं, इन रिक्तियों के लिए आवेदन करने के पात्र थे। 2013 के विज्ञापन में जनरल बैंकिंग ऑफिसर स्केल II के लिए ओबीसी वर्ग के लिए कट-ऑफ स्कोर 114 था, जबकि 2015 के विज्ञापन में योग्यता स्कोर 80 निर्धारित किया गया था।

2.5 नवंबर 2013 में याचिका कर्ताओं के सी.डब्ल्यू.ई स्कोर जारी होने और नवंबर 2014 में उनकी समाप्ति के बीच, कोई नई रिक्तियाँ घोषित नहीं की गईं और लंबित पद खाली रह गए। याचिका कर्ताओं ने 116 अंकों के साथ 2013 और 2015 के विज्ञापनों की आवश्यकताओं को पूरा किया, जहाँ न्यूनतम योग्यता अंक क्रमशः 114 और 80 थे।

2.6 याचिका कर्ताओं ने प्रतिवादी बैंक को ज्ञापन प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि बैकलॉग रिक्तियों के लिए उनके वैध सीडब्ल्यूई स्कोर के आधार पर उनकी उम्मीदवारी पर विचार किया जाए। 16.02.2015 को अनुस्मारक भेजने के बावजूद, उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।

3. प्रतिवादी संख्या 3- आई.बी.पी.एस की ओर से दायर जवाब में लिया गया रुख इस प्रकार है:-

3.1 दिनांक 01-07-2013 के विज्ञापन/अधिसूचना के पैरा 'ए' में स्पष्ट रूप से कहा गया है: "यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि आई.बी.पी.एस एक परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी है। अंतिम भर्ती प्रत्येक भाग लेने वाले आर.आर.बी द्वारा की जाएगी, जो स्वतंत्र रूप से एक अलग भर्ती अधिसूचना जारी करेगा, जिसमें रिक्तियों और पात्रता मानदंडों का उल्लेख होगा। आई.बी.पी.एस भर्ती की गारंटी नहीं देता है। भर्ती प्रत्येक आर.आर.बी की रिक्तियों के अधीन है, जहाँ आई.बी.पी.एस की कोई भूमिका नहीं है।" यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सीडब्ल्यूई-

(30/05/2025 को सुबह 08:36:04 बजे डाउनलोड किया गया)

आर.आर.बी -II प्रक्रिया में आई.बी.पी.एस की भूमिका ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने और परिणाम घोषित करने तक ही सीमित थी। आर.आर.बी में विभिन्न पदों के लिए बाद की चयन प्रक्रिया को उनके विशिष्ट नियमों, शर्तों और आवश्यकताओं के आधार पर प्रत्येक आर.आर.बी द्वारा संभाला गया था।

3.2 इसके अतिरिक्त, जैसा कि प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा जारी विज्ञापन (अनुलग्नक-1) के पैरा-जे में उल्लेख किया गया है, आई.बी.पी.एस स्कोरकार्ड जारी होने की तिथि से केवल एक वर्ष के लिए वैध है। चूँकि याचिका कर्ताओं के स्कोरकार्ड 15.11.2013 को जारी किए गए थे और 14.11.2014 तक वैध थे, इसलिए न तो भाग लेने वाले संगठन स्कोरकार्ड की वैधता समाप्त होने के बाद उम्मीदवारों की भर्ती कर सकते हैं, न ही उम्मीदवार उस अवधि के बाद कोई दावा कर सकते हैं। इसलिए, इस रिट याचिका को खारिज किया जाना चाहिए।

4. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, मैंने याचिका कर्ताओं के विद्वान वकील के साथ-साथ प्रतिवादी आई.बी.पी.एस और बैंक का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील की प्रतिद्वंद्वी दलीलें सुनी हैं।

5. दलीलें सुनने और संलग्न रिकॉर्ड के साथ केस फ़ाइल के अवलोकन के बाद, यह पता चला कि निस्संदेह याचिका कर्ता क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आर.आर.बी) में अधिकारियों (स्केल I, II और III) और कार्यालय सहायकों (बहुउद्देशीय) की भर्ती के लिए सामान्य लिखित परीक्षा में शामिल हुए थे, जिसका परिणाम 15.11.2013 को घोषित किया गया था, जिसमें दोनों ने 116 अंक प्राप्त किए थे। यह पता चला है कि वर्ष 2015 में संबंधित पद के लिए कोई बाद का चयन नहीं किया गया था, जिस श्रेणी में याचिका कर्ताओं ने आवेदन किया था, उसमें अंतिम चयनित उम्मीदवार के अंक भी याचिका कर्ताओं से कम थे और इसलिए, इस आधार पर तत्काल याचिका दायर की गई थी कि प्रति वादियों द्वारा बनाए गए मेरिट सूची का उल्लंघन हुआ है।

(30/05/2025 को सुबह 08:36:04 बजे डाउनलोड किया गया)

6. पहली नज़र में, याचिका कर्ता का दावा आकर्षक लगता है, क्योंकि उनके पास 2015 में चयनित उम्मीदवारों की तुलना में अधिक अंक हैं। हालाँकि, मामले पर गहराई से नज़र डालने से कुछ और ही पता चलता है क्योंकि वर्ष 2013 के विज्ञापन के खंड (जे), जब याचिका कर्ताओं ने परीक्षा दी थी, नीचे स्पष्ट शब्दों में कहा गया है:-

"जे. सीडब्ल्यूई स्कोर की वैधता

आई.बी.पी.एस द्वारा जारी स्कोर, आई.बी.पी.एस की वेबसाइट पर प्रदर्शित होने की तिथि से एक वर्ष तक वैध रहेगा और उस अवधि के दौरान भर्ती प्रक्रिया के लिए विचार किया जाएगा।"

7. याचिका कर्ताओं का परिणाम 15.11.2013 को घोषित किया गया और आई.बी.पी.एस वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया, जो 14.11.2014 तक वैध था। यह स्पष्ट है कि उक्त अवधि के दौरान, प्रति वादियों ने किसी भी रिक्त पद को भरने के लिए विज्ञापन नहीं दिया। हालाँकि, याचिका कर्ताओं ने इसका विरोध किया और कहा कि पद रिक्त तो थे, लेकिन उन्हें जानबूझकर नहीं भरा गया।

8. मैं याचिका कर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त कथन से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि केवल रिक्ति होने से किसी अभ्यर्थी को संबंधित पद पर नियुक्ति हेतु परमादेश जारी करने का अधिकार नहीं मिल जाता, यदि नियोक्ता को उक्त रिक्ति पर कार्य की कोई आवश्यकता नहीं है। रिक्ति की उपलब्धता और संबंधित पद पर कार्य की आवश्यकता अलग-अलग क्षेत्रों में कार्य करती है।

9. रिक्तियों को आम तौर पर इस उम्मीद में स्वीकृत किया जाता है कि भविष्य में नियोक्ता द्वारा भर्ती करने की आवश्यकता पड़ने पर उन्हें भरा जाएगा। याचिका कर्ताओं का यह दावा कि वे अधिक मेधावी हैं, पूरी तरह से गलत है, क्योंकि जिन उम्मीदवारों के साथ याचिका कर्ता प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, उनके अंक 2015 में आयोजित चयन प्रक्रिया में प्राप्त किए गए थे, उस

(30/05/2025 को सुबह 08:36:04 बजे डाउनलोड किया गया)

समय तक, खंड (जे) के अनुसार, समय बीत जाने के कारण याचिका कर्ता के अंक समाप्त हो चुके थे।*उक्त.*

10. इसके अलावा, याचिका कर्ताओं के लिए 2015 में परीक्षा देने का विकल्प खुला था, लेकिन बाद की चयन प्रक्रिया में प्रतिस्पर्धा न करने का निर्णय लेने के बाद, उन्होंने अपनी बात मान ली. यह पता चलने के बाद ही कि बाद की चयन प्रक्रिया में उम्मीदवारों के अंक पिछले वर्ष प्राप्त अंकों से कम थे, उन्होंने तत्काल रिट याचिका दायर करने का फैसला किया।

11. उनके द्वारा अपनाया गया पाठ्यक्रम कुछ और नहीं बल्कि अनिश्चित है, पूरी तरह से प्रकृति में अटकलें और अंकों पर आधारित है 2015 की विज्ञापन प्रक्रिया शुरू होने की तारीख से ये वैध नहीं थे।

12. परिणामस्वरूप, हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं बनता।

13. याचिका खारिज की जाती है।

14. यदि कोई लंबित आवेदन है तो उसका निपटारा कर दिया जाएगा।

(अरुण मोंगा), जे

238-धनंजयएस/-

रिपोर्टिंग के लिए उपयुक्त है या नहीं: हाँ / नहीं

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाशा में कर सकेगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निश्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"

Tarun Mehra
Advocate

(30/05/2025 को सुबह 08:36:04 बजे डाउनलोड किया गया)